दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का वायु की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव

*395. **चौधरी सुखराम सिंह यादवः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण जांच-केंद्रों पर की जा रही अनियमितताओं के कारण निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे वातावरण में वाहनों से होने वाले अत्यधिक प्रदूषण को नियंत्रित कर पाने में सफलता नहीं मिल पा रही है;

(ख) दिल्ली में वायु की गुणवत्ता पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण का कितना प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) दिल्ली में वायु की गुणवत्ता की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए वायु को स्वच्छ बनाये जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) पर की जा रही संभावित अनियमितताओं का समय-समय पर संज्ञान लिया है तथा दिल्ली सरकार को आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं कि वह निर्धारित मानकों का उल्लंघन होने पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी किए जाने पर रोक लगवाये।

(ख) आईआईटी, कानपुर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, PM_{10} और $PM_{2.5}$ संबंधी वाहनीय उत्सर्जन का हिस्सा सर्दियों के दौरान क्रमशः 20% और 25% तथा गर्मियों के दौरान क्रमशः 6% और 9% होने का अनुमान है। वाहनीय उत्संर्जन में SOx का स्तर विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है। जहां तक NOx का संबंध है, वाहनों से होने वाला उत्सुर्जन NOx के समग्र उत्सर्जन का लगभग एक तिहाई है।

(ग) सरकार ने वायु प्रदूषण के मुद्दे का निराकरण करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं — राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित करना; परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी तंत्र की व्यवस्था; गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथनोल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरूआत; राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरूआत; वर्ष 2017 तक बीएस-IV मानकों का सार्वभौमिकरण; 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस-IV ईंधन मानकों की जगह सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करना; निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; बायोमास जलाने पर रोक लगाना; सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करना; प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कार्रवाई बिंदुओं को शामिल करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत निदेश जारी करना जिनमें वाहनीय उत्सर्जनों, सड़क की धूल और अन्यल अस्थायी उत्सर्जनों को पुनः हटाने, बायो-मास/नगरीय ठोस

अपशिष्ट को जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों से संबंधित नियंत्रण और उपशमन उपाय तथा अन्यो सामान्य कदम शामिल हैं; प्रमुख उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरण लगवाना; 2000 सीसी से अधिक क्षमता के डीज़ल-चालित वाहनों से पर्यावरण संरक्षण प्रभार वसूल करना; रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध लगाना; पटाखों के दुष्प्रभावों का व्यापक प्रचार करना तथा पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए छात्रों और जनता के बीच व्यापार स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना; दीपावली के अवसर पर ध्वनि निगरानी हेतु एडवाइजरी जारी करना; दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान को अधिसूचित करना आदि।

Impact of vehicular pollution on air quality in Delhi

†*395. CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to irregularities at pollution checking centres in Delhi, Pollution Under Control (PUC) certificates are being issued in contravention to the parameters laid down for vehicular pollution, which is leading to failure in checking high level of vehicular pollution in environment;

(b) the extent of impact being made by vehicular pollution on air quality in Delhi; and

(c) the details of steps taken to make the air cleaner in view of dwindling air quality in Delhi?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government has taken note of possible irregularities at Pollution Under Control (PUC) Centres from time to time and necessary directions have been issued to Delhi Government to curb issuance of PUC in contravention to the laid down parameters.

(b) According to a study conducted by IIT, Kanpur, the extent of contribution of vehicular emission with respect to PM^{10} and $PM^{2.5}$ during winter is estimated at 20% and 25%, respectively and 6% and 9% respectively during summer. The contribution of vehicular emissions to SOx levels is not very significant. In respect NOx, vehicular emissions contribute nearly one third of the overall emissions of NOx.

(c) Government has taken several steps to address the issue of air pollution which *inter alia*, include notification of National Ambient Air Quality Standards; setting up

† Original notice of the question was received in Hindi.

of monitoring network for assessment of ambient air quality; introduction of cleaner/ alternate fuels like gaseous fuel (CNG, LPG etc.), ethanol blending, launching of National Air Quality index; universalization of BS-IV by 2017; leapfrogging from BS-IV to BS-VI fuel standards by 1st April, 2020; notification of Construction and Demolition Waste Management Rules; banning of burning of biomass; promotion of public transport network; Pollution Under Control Certificate; issuance of directions under Section 18(1)(b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 comprising of action points to counter air pollution in major cities include control and mitigation measures related to vehicular emissions, re-suspension of road dust and other fugitive emissions, bio-mass/municipal solid waste burning, industrial pollution, construction and demolition activities, and other general steps; installation of on-line continuous (24x7) monitoring devices by major industries; collection of Environmental Protection Charge on more than 2000 CC diesel vehicles; ban on bursting of sound emitting crackers between 10 PM to 6 AM; wide publicity on the ill effects of fire-crackers and awareness programme among students and public at large to avoid bursting of fire-crackers; advisories for noise monitoring on the occasion of Deepawali; notification of graded response action plan for Delhi and NCR etc.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 395

चौधरी सुखराम सिंह यादवः माननीय सभापति जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि इसी पर्यावरण विभाग से संबंधित जो कमेटी बनी हुई है, जो एक महत्वपूर्ण कमेटी है, इसमें आपने मुझे मेम्बर बनाया और इसकी चेयरमैन रेणुका जी हैं, जो यहां बैठी हुई हैं। मेरा सवाल यह था कि माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण जांच-केंद्रों पर की जा रही अनियमितताओं के कारण निर्धारित मानकों के विपरीत वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं? मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं कि सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों पर की जा रही संभावित अनियमितताओं का समय-समय पर संज्ञान लिया है तथा दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि वे निर्धारित मानकों का उल्लंघन होने पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने पर रोक लगवाएं। यह इन्होंने जवाब दिया है, इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री सभापतिः आप प्रश्न पूछिए।

चौधरी सुखराम सिंह यादवः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अब तक दिल्ली में फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले कितने केंद्रों का मुआयना किया है, उन पर क्या कार्रवाई की है और कितने केंद्रों का चालान किया है? यदि उसने ऐसा नहीं किया है, तो इस सम्बन्ध में अब तक उसने क्या कार्रवाई की है?

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, यह प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो pollution under check बताने वाला mechanism है, उसे ही under check रखने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वहां सही PUC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। इसलिए उन सारे PUC के जो लगभग 800 केंद्रों हैं, उन सब के लिए सबसे पहले हमने Central server लगाने का निर्देश दिया। अब वे सारे

केंद्रों Central server से जुड़ गए हैं। अब अगर किसी केंद्र से PUC का गलत सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो वह अनियमितता भी समय पर तुरंत समझ में आती है। दूसरा, remote sensor के साथ चलने वाले जो वाहन हैं, उनका भी PUC हो सकता है। यह technology की एक नई उपलब्धि है। हम अभी इसका भी प्रयोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है और हम इसे आगे बढ़ाएँगे। PUC के लिए सही मायने में अपने वाहन का ख्याल रखना चाहिए। एक सभ्य नागरिक समाज का यह भी कर्त्तव्य है कि वह अपने वाहन का ठीक maintenance करे और उसके द्वारा होने वाले pollution को control में रखे। नागरिक भी इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करे, हम इसमें technology की मदद भी लेंगे और कानून के अनुसार जो direction देने हैं, हमने वे भी दिए हैं। We are monitoring the situation on a regular basis.

चौधरी सुखराम सिंह यादवः सभापति जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जो सवाल किया था, उसका उन्होंने गोल-गोल जवाब दे दिया, लेकिन वे माननीय मंत्री हैं, तो उन्हें इसका अधिकार है, इसका हक है। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि क्या वे यह बताने का कष्ट करेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण गत तीन वर्ष में कितनी मौतें हुई हैं, उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या सरकार के मन में कोई इरादा नहीं है कि इन मौतों पर कार्रवाई हो और इस प्रकार की और मौतों को रोकने में वह कामयाब हो?

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि वायु प्रदूषण से ही मृत्यु होती है, ऐसी स्टडी अपने देश में नहीं हुई थी। अब हमने अपने देश में भी इसका assessment शुरू किया है। जो विदेशी रिपोर्ट्स होती हैं, वे extrapolated data पर आधारित होती हैं और इसलिए वे सही स्टडी नहीं होती हैं। इसका एक ही कारण नहीं होता है, लेकिन यह स्थिति गंभीर है, यह तो वास्तविकता है। इसलिए इसको कम करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें हमने सबसे पहला काम यह किया कि हमने National Air Quality Index launch किया। आज हम 300 शहरों की हवा की तबीयत को समय-समय पर रोज समझते हैं और इसको हम प्रकाशित भी करते हैं। अनेक दूरदर्शन चैनल्स और समाचार पत्र भी इसको प्रकाशित करते हैं। कौन-सी खराब है, कौन-सी ठीक है, कौन-सी satisfactory है, पहले यह बताना भी महत्वपूर्ण होता है। एक ही शहर में सब जगह हवा खराब नहीं होती है। जहां की हवा ज्यादा खराब होती है, वहां क्या सावधानी बरतनी है, हम इस पर भी काम करते हैं।

दूसरा, बाहर से जो vehicles दिल्ली में आते थे, उनके बारे में अब आपको पता है कि वे रात में ही आ सकते हैं, दिन में नहीं आ सकते हैं और laying of bypass is ready and is being used. इससे दिल्ली के अन्दर आने वाली vehicles की संख्या कम हुई। इसमें उनको दंडित करने का भी provision किया गया, इसके लिए ज्यादा पैसा भी मांगा गया, उससे भी संख्या में कमी आई। इसके साथ ही जैसे ही बाइपास की दूसरी lane complete होगी, तो इससे दिल्ली में आने वाले वाहन ही दिल्ली में आएँगे, दिल्ली के बाहर के वाहन यहां नहीं आएँगे।

इसके साथ-साथ हमने बहुत से उपाय किए हैं, जैसे सभी मंत्रालयों के लिए LPG for All, Stop NSW Burning, handling the construction and demolition works properly, concrete batching, vacuum sweeping, electric and hybrid vehicles, इनको भी प्रोत्साहन दिया है। हमने इसमें 30 परसेंट subsidy दी है। Implementation of BS-VI, इसके बारे में मैंने पहले बताया। Inspection and maintenance of vehicles, आपने यह अच्छा मुद्दा उठाया। इन सभी पाँच

राज्यों को मिल कर दिल्ली का यह काम करना है और तभी यह vehicles का प्रदूषण कम हो सकता है। Mass Emission Standards, जो Bharat Stage-III था, have been implemented for two and three wheelers all over the country from the 1st of October, 2010. Now we are immediately going to BS-VI. So, all these steps will definitely have good impact on reducing pollution.

SHRI T. G. VENKATESH: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan for banning in future the use of petrol and diesel propelled motor vehicles in order to control pollution and air quality, along with start giving new licence to new projects, in view of the emergence of electricity-operated vehicles and autos globally. I would also like to know whether incentives and discounts are being given to produce electrical vehicles. If so, what are the details in this regard? I wish to inform about one more thing. My Constituency, Kurnool, has population of around four lakh. But for this four lakh population forty diesel auto vehicles are running. You can imagine the pollution level, Sir. So, in future we have to ban all these diesel-operated vehicles and we should go in for electric auto diesel vehicles.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a good suggestion and we need to take, as a nation also and as individual also, this route of non-polluting vehicles, और इसलिए हमने diesel vehicles पर ज्यादा टैक्स लगाया है, to discourage their consumption. इसके कारण उनकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन वहीं electrical vehicles के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाया गया है, बल्कि उनको लेने पर 30 per cent subsidy गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। We are encouraging electrical vehicles and renewable fuel vehicles as well as discouraging the traditional polluting vehicles. Therefore, शुरू में जो alternative fuel की चर्चा की गई है, efforts for developing and popularizing electric vehicles are on. Already Reva Motors have commercialized a small battery car. Many three-wheeler manufacturers are also contemplating electric-driven OEM for Indian makers. I think, this is very important, क्योंकि ऐसे three wheelers भी आएंगे। इस तरह renewable या स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले स्वच्छ वाहन चलें, यही पॉल्यूशन से लड़ने का सही रास्ता है और इस दिशा में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्माः धन्यवाद सर, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, पर्यावरण आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। माननीय मंत्री जी पहले जब पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, उस समय मैंने कई बार इनसे एक सवाल पूछा था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या pollutants का mitigation हो सकता है या नहीं? आज तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो ट्रक या commercial vehicles आते हैं, क्या उन पर कोई टैक्स लगाया गया है? यदि लगाया गया है, तो उससे अभी तक कितना पैसा मिला है और वह किस मद पर खर्च किया गया है?

श्री प्रकाश जावडेकरः हम इसकी डिटेल्स के बारे में आपको जरूर सूचित करेंगे। At this moment, these details are... लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि व्हीकल्स से होने वाला प्रदूषण एक मेजर मुद्दा है, लेकिन फिर भी pollution में उसका लोड 20% से 25% है। इसके साथ धूल प्रदूषण भी होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है, फिर proper waste management न होने की वजह से भी प्रदूषण फैलता है, bio-mass burning से भी प्रदूषण होता है। सभी प्रकार के प्रदूषणों को हम आपसी सहयोग से ही कम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक yearly and three-monthly कारगर योजना भी लागू कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा impact आ रहा है।

शायद आपको मालूम होगा कि अब ट्रकों के लिए नये मानक तैयार किए गए हैं, जिन्हें हम लागू कर रहे हैं। इसके साथ भारत में पहली दफा Environmental Compensation Charges लागू किए गए हैं, क्योंकि इसके लिए दंडित करना जरूरी है। उदाहरण के लिए हमने कोल पर 400 रुपये प्रति टन, यानी six dollars per tonn का टैक्स लगाया है। जब मैंने पैरिस में इसके संबंध में बताया कि हमने कोल के प्रोडक्शन पर छः डॉलर का टैक्स लगाया है, तो people were not believing कि ऐसा भी हो सकता है। They were asking me कि ऐसा कैसे सम्भव हुआ? मैंने कहा कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता यह है कि पार्लियामेंट में 36 political parties हैं, लेकिन इस विषय पर सबकी राय एक है, क्योंकि हम पॉल्यूशन से सही मायने में लड़ना चाहते हैं। हमारे देश में इसको लेकर सबका जज्बा एक है, यह इसी का उदाहरण है कि हम इस काम को कर पाए हैं। This is how we want to work.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the Minister in his reply has said, "..notification of Construction and Demolition of Waste Management Rules; banning of burning of biomass; promotion of public transport network; Pollution Under Control Certificate; issuance of directions under Section 18(1)(b) of Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981..." Will the Minister think of changing this Act and bringing some stringent action against those who are violating this Act?

श्री प्रकाश जावेडकरः सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो violators हैं, उनके ऊपर तो stringent action लेना है और हम सही समय पर उसमें amendment भी करते हैं। But, यह भी सच है कि directions issue करने और notification issue करने के बाद भी, जो compliance नहीं करते हैं, उन पर ज्यादा दंड नहीं है, इसलिए उसका यह परिणाम होता है। आप एकदम stop कर सकते हैं, लेकिन there is one power under law कि आप एकदम उस व्यवस्था को बन्द कर सकते हैं, परन्तु बन्द करना कोई उपाय नहीं होता है, अपितु सुधारना ही उपाय है। इस दिशा में आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। This is, again, a very good suggestion for action.

Bajaj Committee report on river water sharing

*396. SHRI DHARMAPURI SRINIVAS: Will the Minister of WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION be pleased to state:

(a) whether the AK Bajaj Committee constituted to address the pending Krishna river water dispute between Andhra Pradesh and Telangana has given its report to